न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः— श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 13/2016

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां (प्रार्थी)

बनाम

1. श्री रामप्रकाश पुत्र श्री रामलाल
2. श्रीमति बसन्तीबाई पत्नि श्री रामप्रकाश, जातिगण कंडारा निवासी बैंगना तहसील बारां

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 17(4) राज. कृषि प्रयोजनार्थ सींलिग अधिग्रहित भूमि आवंटन नियम 1973

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज0)

उपस्थित :— 1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)

निर्णय दिनांक 06.04.2022

प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बैंगना की आराजी ख0नं0 1281/991 रकबा 0.50 हैक्टर दिनांक 22.01.2002 को अप्रार्थीगण को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गई थी, जिस पर दिनांक 16.04.2002 को आवंटी को कब्जा दखल देकर नामान्तरकरण संख्या 316 दिनांक 27.04.2002 से गैर खातेदारी दर्ज की गई थी। अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर स्वंय का कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तों की अवहेलना की गई है। आवंटी अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर पहले वर्ष में 50 प्रतिशत तथा दूसरे वर्ष में सम्पूर्ण भूमि पर स्वंय काश्त करना था जो आवंटी द्वारा नहीं कर नियमों की अवहेलना की गई है। अतः उक्त आवंटित भूमि वापस सिवायचक दर्ज करने योग्य है।

प्रार्थनापत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया। हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी।

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.10 12:37:29 IST
Reason: SelfAttested

बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर पहले वर्ष में 50 प्रतिशत तथा दूसरे वर्ष में सम्पूर्ण भूमि पर स्वंय काश्त नहीं कर राज. कृषि प्रयोजनार्थ सींलिग अधिग्रहित भूमि आवंटन नियम 1973 के नियम 17(4) की अवहेलना की है। अतः उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर आवंटित आराजी को सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया पत्रावली का आद्योपात अवलोकन किया तथा तहसीलदार बारां से अप्रार्थीगण को आवंटित ग्राम बैंगना की आराजी

खसरा नंबर 1281/991 रकबा 0.50 है. की आवंटन दिनांक 22.01.2002 के पश्चात की लगातार तीन वर्षों की खसरा गिरदावरी की नकल मंगवाई गई।

तहसीलदार, बारां से प्राप्त अप्रार्थीगण को आवंटित ग्राम बैंगना की आराजी की खसरा गिरदावरी संवत् 2061, 2062, 2063 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त तीनों वर्षों में अप्रार्थीगण ने आवंटित आराजी पर फसल सरसों काश्त की है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तों की अवहेलना किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।

उपर्युक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.10 12:37:29 IST
Reason: SelfAttested